[Shri K. Arjunan]

job/opportunities in Neyveli Lignite Corporation.

(3) Their immovable property such as houses and wells should be assessed for compensation without any delay. .

The Central Government should intervene in the matter so that justice is done to evictees of land.

(vi) ALLEGED POLLUTION OF DRINKING WATER BY THE DISCHARGE OF POISONOUS BY-PRODUCTS OF A WINE FACTORY IN PILAKHANI VILLAGE, DISTT. SAHARANPUR, U.P.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोक महत्व के प्रश्न, जोकि सहारनपुर जनपद से सम्बन्धित है, उठाना चाहता हूं।—

सहारनपुर जनपद में पिलखनी नाम की जगह पर एक अंग्रेजी शराब की फैक्टरी है। यह फैक्टरी जब से स्थापित हुई है। तभी से अवशेष के रूप में बचा हुआ जहरीला पानी आसपास के खड्डों में सड़ा रहता है। इस पानी की निकासी के लिए फैक्टरी मालिकों ने कोई पक्की नाली की व्यवस्था करके यमुना नदी में डालने की व्यवस्था नहीं की है। जिसके दुष्परिणाम इस क्षेत्र की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं।

शराब के इस जहरीले पानी की वजह से पूरे क्षेत्र की फसलें सूख जाती हैं, इतना ही नहीं, पूरे क्षेत्र के कुओं व नलों का पानी भी नशीला व जहरीला हो गया है जिसका बुरा असर इस पानी के पीने से इन्सानों व पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। यह असर 10 किलोमीटर के दायरे में जमीन के नीचे तक हो गया है।

खेद की बात यह है कि इस क्षेत्र की जनता जिलाधिकारी, प्रदेशीय सरकार व केन्द्रीय सरकार को बहुत बार अपनी शिकायत लिखकर भेज चुकी है, एक बार तो भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने पक्की नाली बनवाकर यमुना नदी में डालने का वायदा किया था, लेकिन अफसोस है कि आज तक कोई कार्यवाही न करके क्षेत्र की जनता को जहरीला व नशीला पानी पीने के लिये मजबूर किया जा रहा है।

अतः सरकार से मेरी प्रार्थना है कि केन्द्रीय सरकार फैक्टरी के मालिक के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने का आदेश दे, ताकि इस इलाके को तबाह होने से बचाया जा सके।

(vii) ALLEGED DESTRUCTION OF WAQF PROPERTIES AT THE INSTANCE OF PUNJAB WAQF BOARD.

SHRI ASHFAQ HUSSAIN (Maharajganj) : Sir, the Waqf Boards were constituted in each State under the Muslim Waqf Act, 1956. The main purposes of these Boards are (i) protection and (ii) efficient management and improvement of waqf properties like mosques, Durgahs and cremation grounds. Under the waqf Act and Muslim Law, the above-mentioned rights cannot be transferred or even leased out for residential purposes.

Through this House I would like to draw the attention of the Minister of Law and Justice who is in charge of Muslim Waqf also that the Punjab waqf Board is indulging in the demolishing and destruction of these places. Only recently in August, 1981 the Acting Secretary of the Punjab Waqf Board has allotted and leased out the historic graveyards, namely, Dargah Hazrat Sheikh Makhdoom Jalaudin and Saiyed Mahmood Shahid, the renowned